


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>4.5.18 यह पत्रावली राजस्व कैम्प चोहिलावाली में पेश हुई। अभिभाषक वादीगण व अभिभाषक प्रतिवादी उप0। अभिभाषक वादीगण व अभिभाषक प्रतिवादी दिनांक 07-02-2018 को राजीनामा प्रस्तुत किया हुआ है तथा मुताबिक राजीनामा उक्त वादपत्र का निस्तारण करने का निवेदन किया। वादीगण व प्रतिवादी ने राजीनामा में यह कथन किये कि वादीगण व प्रतिवादी संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं जो आपस में पिता, पुत्र व भाई वगैरा का सम्बन्ध है। प्रतिवादी के नाम चक 41 एसएसडब्ल्यू के खाता संख्या 102/99 के पत्थर नम्बर-73/311 (17) के किला नम्बर-13 ता 15, 18 ता 23, पत्थर नम्बर-73/312 (26) के किली नम्बर-1 ता 3, 8, 9, 10/2, 11 कुल तादादी 3.947 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। पक्षकारान के रिश्तेदारों व भाई बन्धुओं ने मिलकर पक्षकारान का आपस में राजीनामा करवा दिया है ताकि एक परिवार के लोगों में आपसी स्नेह तथा भाईचारा बना रहे तथा एक परिवार के लोगों को मुकदमेंबाजी से बचाया जा सके और लोक अदालत की भावना से वादीगण व प्रतिवादी ने मुताबिक घरेलू बंटवारा करने पर सहमत हुये है व उसी अनुसार उक्त वादपत्र का निस्तारण करवाना चाहते हैं।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया। मुताबिक राजीनामा दिनांक 07-02-2018 उक्त वादपत्र डिक्री किया न्यायोचित है।</p> <p>अतः वादपत्र वादीगण मुताबिक राजीनामा दिनांक 07-02-2018 डिक्री किया जाकर इस आशय की घोषणा जारी जाती है कि तहसील हनुमानगढ़ के चक 41 एसएसडब्ल्यू के खाता संख्या-102/99 के पत्थर नम्बर-73/311 (17) के किला नम्बर-13 ता 15, 18 ता 23, पत्थर नम्बर-73/312 (26) के किला नम्बर-1 ता 3, 8, 9, 10/2, 11 कुल तादादी 3.947 हैक्टेयर में वादीगण गुरसेवक सिंह-सुरेन्द्र सिंह पुत्रगण श्री भूरा सिंह व प्रतिवादी भूरा सिंह पुत्र राम सिंह बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। पर्चा डिक्री जारी हो। बैक ऋण चुकता होने पर अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 04.05.2018 को कैम्प चोहिलावाली में सुनाया गया।</p> <p> सहायक कमिश्नर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़</p>	

पर्चा डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6, 7 जाबता दीवानी)


अज अदालत:-सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट )  
कैम्प कोर्ट का स्थान चोहिलावाली  
पीठासीन अधिकारी :- सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, आर.ए.एस.

गुरसेवक सिंह आदि बनाम भूरा सिंह आदि

दावा बाबत 88 आरटीए, राजस्व वाद संख्या:-316/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू मेरे बहाजरी श्री योगेश झोरड अधिवक्ता-वादीगण व श्री तरसेम सिंह-अधिवक्ता-प्रतिवादी संख्या-1 उपस्थित होकर हुक्म दिया जाता है कि वादपत्र वादीगण मुताबिक राजीनामा दिनांक 07-02-2018 डिक्री किया जाकर इस आशय की घोषणा जारी जाती है कि तहसील हनुमानगढ़ के चक 41 एसएसडब्ल्यू के खाता संख्या-102/99 के पत्थर नम्बर-73/311 (17) के किला नम्बर-13 ता 15, 18 ता 23, पत्थर नम्बर-73/312 (26) के किला नम्बर-1 ता 3, 8, 9, 10/2, 11 कुल तादादी 3.947 हैक्टेयर में वादीगण गुरसेवक सिंह-सुरेन्द्र सिंह पुत्रगण श्री भूरा सिंह व प्रतिवादी भूरा सिंह पुत्र राम सिंह बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। प्रश्नगत रकबा की भूमि बैक रहन है तो बैक ऋण चुकता होने पर अमल दरामद किया जावे।

लीज..... मुबलिंग.....  
बातत..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बषरह.....  
से तारीख वसुलयाबी.....  
बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 4-05-2018 से जारी की



सत्यमेव जयते

विवरण पक्षकार

सहायक कलैक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

1. गुरसेवक सिंह पुत्र श्री भूराम सिंह
2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भूरा सिंह  
जाति जटसिख, निवासीगण बहलोलनगर, तहसील व जिला हनुमानगढ़-  
—वादीगण—

—: बनाम —:

1. भूरा सिंह पुत्र श्री राम सिंह, जाति जटसिख, निवासी बहलोलनगर, तहसील व जिला हनुमानगढ़-
2. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़

—:प्रतिवादीगणा:—

सहायक कलैक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़